

भारतीय गैर न्यायिक


भारत

TEN
RUPEES

Rs. 10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL



UTTARAKHAND

12AA 260781

उत्तराखण्ड विधानसभा निर्वाचन में '66 रूद्रपुर निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन हेतु रिटनिंग आफीसर के समक्ष शपथ पत्र जो प्रमाणित व हस्ताक्षरित. संलग्नक 01 पृष्ठ, (पृष्ठ 15 का 6) प्रारूप 26 के अनुसार है।

शानी

प्ररूप 28
(नियम 4क देखिए)



66 कदपुर निर्वाचन क्षेत्र से
(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

66 कदपुर विधानसभा (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए
रिटनिंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र.

मैं श्रीमति रानी देवी पुत्र/पुत्री/पत्नी पुरुषोत्तम सिंह पंत आयु 42 वर्ष
जो कदपुर का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन में अभ्यर्थी हूँ
सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ/शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ :-

1. मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों)
का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए
गए हैं।
(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध(अपराधों)का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत
करेगा/करेगी):

- (I) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं नहीं
- (II) पुलिस थाना (थाने) कदपुर जिला (जिले) उधमसिंह राज्य उत्तराखण्ड
- (III) सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध(अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके
(जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है नहीं
- (IV) न्यायालय जिसके (जिनके) द्वारा आरोप(आरोपों) की विरचना की गई नहीं
- (V) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया था नहीं
- (VI) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं नहीं

2. गुझे किसी अपराध(अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा
(1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए
सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से दंडादिष्ट किया
गया है/नहीं किया गया है।

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह
निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा)

- (I) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं नहीं
- (II) पुलिस थाना (थाने) कदपुर जिला (जिले) उधमसिंह राज्य उत्तराखण्ड
- (III) सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध(अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके
(जिनके) लिए अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है नहीं
- (IV) तारीख (तारीखें) जिनको दंडादेश सुनाया गया था/सुनाए गए थे नहीं
- (V) क्या दंडादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/रोके गए हैं नहीं

स्थान:- कदपुर
तारीख:- 11.11.2012

रानी
अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता/करती हूँ कि इस शपथ पत्र की अंतर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान
और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्विक बात छिपाई नहीं गई है।
..... स्थान पर आज तारीख 11.11.2012 को सत्यापित किया।

Sworn and Affirmed before me by
Sri/Smt./K.m. Rani Devi
Deponent(s) Identify by Sri. Ramesh Kumar
The Commissionary of the District at Rudrapur

रानी
अभिसाक्षी के हस्ताक्षर
पृष्ठ 15 का 8